न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 25/2018/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

1. चावली देवी पत्नी हेमाराम
2. प्रभाती देवी पत्नी बजरंग लाल

समस्त जाति जाटान, निवासीगण माजी साहब की ढ़ाणी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र नोलाराम जाति जाट, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
2. प्रभाती लाल पुत्र बोदूराम, निवासी दूधवालों का बास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
3. रामेश्वर
4. मोहन
5. बनवारी
6. श्रवणी
7. भंवरी देवी

पुत्रगण एवं पुत्रीया गणेश — निवासीगण माजी साहब का ढ़ाणी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।

8. भागीरथ मल सांख उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र मुंतकिली

निर्णय

दिनांक : 31 जनवरी, 2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार होना अंकित किया है कि:—

(1) अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 131, 132, 140, 141, 165 कुल किता 5 रकबा 6.90 है. का खातेदार,काश्तकार है व खसरा नम्बर 131 में आवासीय मकान बनाकर आबाद है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 133/1 से 133/4 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला की

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा अपनी खातेदारी की भूमि में व उसमें अवस्थित आवासीय मकान में आवागमन का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता पलसाना खण्डेला सड़क खसरा नम्बर 134 में खसरा नम्बर 133/1 से 134/4 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 132 में जाकर मिलता है, जहां से उसका परिवार आवागमन करते हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटान का रास्ता नहीं होने की वजह से अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में आवागमन नहीं करने देते है। उक्त रास्ते को सबसे सरलतम, निकटतम एवं लघुतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए नहीं है, इसलिए खसरा नम्बर 133/1 से 133/4 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे चार मीटर रास्ता खसरा नम्बर 134/4 की पूर्वी सीमा से लेकर खसरा नम्बर 133/1 से 133/4 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 134 तक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करवाने हेतु पेश किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ मल के समक्ष विचाराधीन है।

(2) प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 133/4 रकबा 1.0533 है. व खसरा नम्बर 133/3 रकबा 1.0533 है. तन गोविन्दपुरा की खातेदार काश्तकार है, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के न्यायालय में विधिवत् आपत्ति प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण 1 से 5 ने आपस में षड़यंत्र करके प्रार्थीगण की कृषि भूमियों को खुर्द बुर्द करने एवं बेशकीमती भूमियों को नुकसान पहुंचाने की नीयत ये भूमि खसरा नम्बर 133/1 से 133/4 में से रास्ता चाहने हेतु विधि विरूद्व पेश किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलकर उनको मुगालता देकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियों में से उसकी अनुपस्थिति में नाजायज रास्ता का प्रस्ताव तैयार करवाने का आदेश करवाया है तथा तहसीलदार खण्डेला से अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रस्ताव तैयार करवाने का आदेश दिया गया है। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी हल्का व तहसीलदार से मिलकर प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता का प्रस्ताव नाजायज तरीके से तैयार करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 132 तक दूरी लगभग 170 मीटर है जबकि सड़क खण्डेला पलसाना से सटकर अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 242 ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की पश्चिम सींव के अन्दर सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण सीमा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 132 में प्रवेश करता है, जिसकी दूरी लगभग 116 मीटर ही है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है, जिसमें होकर अप्रार्थी संख्या 1 सदैव से आता जाता है, जो वर्तमान में मौजूद है। उक्त रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मूल सिद्धान्त निकटतम, लघुतम व सरलतम

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

है। तहसीलदार खण्डेला व पटवारी हल्का गोविन्दपुरा से मिलकर अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर गलत तैयार करवाया है। प्रार्थीगण ने आपत्ति कथन किया है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ एवं तहसीलदार खण्डेला दोनों द्वारा संयुक्त रूप से खण्डेला पलसाना सड़क अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 132 तक रास्ता प्रस्ताव तैयार करवाया जावे, जिसमें खसरा नम्बर 133/1 से 133/4 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला से खसरा नम्बर 132 की दूरी तथा भूमि खसरा नम्बर 242 ग्राम पलसाना, तहसील दांतारागढ़ की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे (उत्तर दक्षिण लम्बाई में) खसरा नम्बर 132 तक की दूरी अंकन करते हुए अतिलघुतम रास्ता का पुनः प्रस्ताव मंगवाने के आदेश करने की इस्तदुआ की।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के घर पर अप्रार्थी संख्या 1 का आना जाना है व हर तारीख पेशी पर उनके चैम्बर में बैठा रहता है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण की आपत्तियों पर दिनांक 27.03.2018 को बहस सुनकर कानूनी प्रावधानों के तहत उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक संक्षिप्त विचारण प्रकिया के अधीन मानकर खारिज करने का आदेश दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रस्तुत प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं हैं। तहसीलदार खण्डेला ने दिनांक 23.07.2018 की रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ता दर्शाकर रिपोर्ट पेश की है।

(4) अप्रार्थी संख्या 1 ऐलानियां रूप से गांव में सरेआम धमकी दे रहा है कि आगामी तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी से रास्ता कायम करने का आदेश करवा लूंगा। प्रकरण की तारीख पेशियों पर पीठासीन अधिकारी इस आशय की मंशा भी पूर्व में जाहिर कर चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ तथा ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील खण्डेला की सीमा पर रास्ता का विवाद है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण को अन्य सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2017 को किसी अन्य समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण करने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील श्री बनवारी लाल शर्मा ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

4. वकील प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी हल्का व तहसीलदार से मिलकर प्रार्थीयागण की भूमि में से रास्ता का प्रस्ताव नाजायज तरीके से तैयार करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 132 तक दूरी लगभग 170 मीटर है जबकि सड़क खण्डेला पलसाना से सटकर अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 242 ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की पश्चिम सींव के अन्दर सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण सीमा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 132 में प्रवेश करता है, जिसकी दूरी लगभग 116 मीटर ही है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है, जिसमें होकर अप्रार्थी संख्या 1 सदैव से आता जाता है, जो वर्तमान में मौजूद है। उक्त रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मूल सिद्धान्त निकटतम, लघुतम व सरलतम है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीयागण की आपत्तियों पर दिनांक 27.03.2018 को बहस सुनकर कानूनी प्रावधानों के तहत उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार कर धारा 251 ए राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम एक संक्षिप्त विचारण प्रकिया के अधीन मानकर खारिज करने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार खण्डेला ने दिनांक 23.07.2018 की रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ता दर्शाकर रिपोर्ट पेश की है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रस्तुत प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण संख्या 24/2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला से किसी अन्य समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण करने का आदेश फरमाया जाना न्यायाहित में उचित रहेगा।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण राजस्व बोर्ड अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, जो राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 29.06.2018 को इस आशय के साथ खारिज कर दी गई कि उक्त प्रकरण निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को आक्षेपित किया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संधारण योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार व विधिक प्रकिया को मध्य नजर रखते हुए की गई है। प्रार्थीगण का एक मात्र उद्देश्य प्रकरण को लम्बित एवं जटिल किया जाकर न्यायालय में वाद चलाये रखना है। अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि विचाराधीन प्रकरण हीरालाल बनाम प्रभाती लाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्णतः न्यायिक प्रकिया का अनुसरण करते हुए विधि सम्मत विचारण किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला से निकटतम एवं लघुतम रास्ते एवं अन्य उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते बाबत पुनः रिपोर्ट चाही गई थी, जो प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्रकरण वर्तमान में प्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकम पर विचाराधीन है। मात्र प्रकरण में देरी करने की नीयत से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 का

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अद्योहस्ताक्षरकर्ता के घर कोई आना जाना नहीं है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में नियत तारीख पेशियों पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के चैम्बर में बैठता है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित किया जात है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे जाहिर होता हो कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में कोई पक्षपात पूर्ण निर्णय किये जाने की सम्भावना हो। इसके अतिरिक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली आधारहीन होने से **खारिज** किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांकः 31 **जनवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner